M&7P/py, 100-286

# [TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

3/3/16

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

Rekhe

# Income-tax NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2016

- **S.O. (E).** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 249, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (3<sup>rd</sup> Amendment) Rules, 2016.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 (herein after referred to as the said rules), for rule 45, the following rule shall be substituted, namely:-
- "45. Form of appeal to Commissioner (Appeals).-(1)An appeal to the Commissioner(Appeals) shall be made in Form No. 35.
  - (2) Form No. 35 shall be furnished in the following manner, namely:-
    - (a) in the case of a person who is required to furnish return of income electronically under sub-rule(3) of rule 12,-
      - (i) by furnishing the form electronically under digital signature, if the return of income is furnished under digital signature;
      - (ii) by furnishing the form electronically through electronic verification code in a case not covered under sub-clause (i);
    - (b) in a case where the assessee has the option to furnish the return of income in paper form, by furnishing the form electronically in accordance with clause (a) of sub-rule(2) or in paper form.
  - (3) The form of appeal referred to in sub-rule (1), shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income under section 140 of the Act, as applicable to the assessee.
  - (4) Any document accompanying Form No. 35 shall be furnished in the manner in which the said form is furnished.
  - (5) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall-
    - (i) specify the procedure for electronic filing of Form No.35 and documents;
    - (ii) specify the data structure, standards and manner of generation of electronic verification code,

referred to in sub-rule(2), for the pupose of verification of the person furnishing the said form; and

- (iii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval of policies in relation to the said form so furnished."
- 3. In the said rules, in Appendix-II, for Form No.35, the following form shall be substituted, namely:-

# "FORM NO. 35 (See rule 45) Appeal to the Commissioner of Income-tax (Appeals)

	First	Nam	e	Middle Name	Last Name or Name of I	Entity	PAN		
							TAN (if available)		
Personal Information	Flat/	Door	r/ Block No	О.	Name of Premises/ Village	/ Building/	Road/ Street/ Post Office		
rsonal In	Area	/ Loc	ality		Town/City/District		State (Select)		
Pe	Cour (Sele			Pin Code	Phone No. with STD code/ Mobile No.	Email Add			
	<del> </del>	<u> </u>			20 1:1 1:		otices/ communication may be se	ent on email? Yes/No	
_	1				with which the appeal is eal is filed against an or		Assessment Year		
Order against which Appeal is filed		ass	essment ye	ear is not relevant	•	rder where	Financial Year		
inst is fi	2	Det		order appealed again					
aga )eal		a	Section and sub-section of the Income-tax Act, 1961						
der App	l	b	Date of (	Order					
Ö		С	c Date of service of Order / Notice of Demand				,		
1	3	Inc	Income-tax Authority passing the order appealed against						
	4					r/ financial y	vear is pending in the case of t	the Yes/No	
ĺ			appellant with any Commissioner (Appeals)						
  ਫ	4.1	<del>-</del> -	If reply to 4 is Yes, then give following details						
ppe		a			n whom the appeal is pend	ing			
A S		b_		lo. and date of filing					
Pending Appeal		<u> </u>	c Assessment year/ financial year in connection with which the appeal has been preferred d Income-tax Authority passing the order appealed against						
Pen		d							
		e Section and sub-section of the Income-tax Act, 1961, under which the order appealed against has been passed  f Date of such Order							
}									
	5				ome-tax Act,1961 under wl	hich the appe	al is preferred		
1	6			es to any assessment		appe			
		a		of Income Assessed (					
tails		b	b Total Addition to Income (in Rs.)						
De De		c			ance of Loss in assessmen				
Appeal Details		d			vance of Loss disputed in A		S.)		
Αρ	7	e If a		of Disputed Demand es to penalty:	(in Rs.) - Enter Nil in case	e of Loss			
	- <del>'</del>	a			er (in Rs.)	<del></del>	·		
		a Amount of penalty as per Order (in Rs.) b Amount of penalty disputed in Appeal (in Rs.)							
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	L	Amount of penany disputed in Appeal (in Ks.)							

	8	W/h	ere a return has been	filed by the appellant for the asset	erment year in con	meetion with which the	anneal	Yes/No/ Not	
	"			on income returned has been paid		meenon with which the	appear	Applicable	
	8.1			enter details of return and taxes pa				Applicable	
		a Acknowledgement number							
oaic		b	Date of filing					·	
Details of Taxes paid		$\vdash$							
	9	C Total tax paid							
	9	Where no return has been filed by the appellant for the assessment year, whether an amount equal to the amount of advance tax as per section 249(4)(b) of the Income-tax Act, 1961 has been paid							
iils	9.1		eply to 9 is Yes, then $\epsilon$		ne-tax Act, 1901 n	as been paid		Applicable	
Sets	9.1		Payments	inter details					
П		Tax	BSR Code	Date of payment	01	No.		ount	
			DSK Code	Date of payment	31.	INU.	All	iourit .	
		T	otal				-		
	1.0	I [		4	. C(1 - T	A ( 1001 - 11 - 1		1 1 1 6	
•	-10			y tax deductible under section 195	or the income-tax	Act, 1961 and borne t	by the ded	luctor, details of ta	
		аер	osited under section 1	95(1)					
			BSR Code	Date of payment	91	No.	Δm	nount	
		_		Bute of payment	OI.	110.		lount	
							· · · -	-	
	11	Sta	tement of Facts	l					
ر ی	11	Facts of the case in brief (not exceeding 1000 words)							
ls o	-		of documentary evide		200 P3		<u>-</u>		
···ron vi	12			ry evidence other than the evi	A SASA				
Gro	12				Yes/No				
cts, itio		during the course of proceedings before the Income-tax Authority has been filed in terms of rule 46A				165/140			
í fa add	12.1								
Statement of facts, Grounds of Appeal and additional evidence	13	1	• •	ground not exceeding 100 words					
me al a	13		ounds of Appear (each	ground not exceeding 100 words	<del>;</del> .	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>	
tate	,	1. 2.				1	<del></del>		
S &		l .							
		3.		611				77 / 77	
50	14		ether there is delay in				7	Yes/ No	
Appeal filing details	15			the grounds for condonation of d	elay (not exceeding	g 500 words)	<u>-                                    </u>	<del></del>	
peal fili details	16	Deta	ails of Appeal Fees Pa						
de de		1	BSR Code	Date of payment	SI.	No.	An	ount	
Αŗ		╙							
		Ц.,	····						
	17	Add	lress to which notices	may be sent to the appellant					
	L	<u> </u>							
				Form of verific	ation				
_									
I.			1	he appellant, do hereby decl	are that what is	stated above is tru	e to the	best of my	

•

1,	_the appellant, do hereb	y declare that	what is stated	above is true to	the best of my	
information and belief. It is also co	ertified that no additional	evidence other	than the evide	nce stated in row	12.1 above has	
been filed.						
Place			Si	gnature		
Date					>>	

#### [Notification No.] /2016, F.No.149/150/2015-TPL]

Deputy Secretary to the Government of India

**Note.-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E), dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and last amended vide notification number S.O.502(E), dated the 17.02.2016.

#### (भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोई)

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

#### आय-कर अधिसूचना

का. आ. .....(अ).-- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित की धारा 249 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- € 4
- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 45 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "45 : आयुक्त (अपील) को अपील का प्रारुप (1) आयुक्त (अपील) को कोई अपील प्ररुप सं. 35 में की जाएगी ।
- (2) प्ररुप सं. 35 निम्नलिखित रीति में दिया जाएगा, अर्थात् :-
  - (क) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिससे आय की विवरणी नियम 12 के उपनियम (3) के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप में देने की अपेक्षा की जाती है, -
  - (i) प्ररुप को इलैक्ट्रानिक रूप में डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन देते हुए, यदि आय की विवरणी डिजिटिल हस्ताक्षर के अधीन दी जाती है;
    - (ii) उपखंड(i) के अंतर्गत न आने वाले मामले की दशा में प्ररूप को इलैक्ट्रानिक रूप में इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से देते हुए ;

- (ख) किसी ऐसी दशा में जहां निर्धारिती के पास आय की विवरणी को कागज प्ररूप में देने का विकल्प है, प्ररूप को इलैक्ट्रानिक रूप में उप नियम (2) के खंड (क)के अनुसार या कागज प्ररूप में देते हुए ।
- (3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अपील का प्ररूप किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो अधिनियम की धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है, जैसा कि निर्धारिती को लागू है।
- (4) प्ररुप सं. 35 के साथ संलग्न कोई दस्तावेज ऐसी रीति में दिया जाएगा, जिसमें उक्त प्ररुप दिया जाता है।
- (5) यथास्थिति, प्रधान महानिदेशक आयकर, (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) -
- (i) प्ररूप सं. 35 और दस्तावेजों को इलैक्ट्रानिक रूप में फाइल करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा;
- (ii) उक्त प्ररूप को देने वाले व्यक्ति के सत्यापन के प्रयोजन के लिए उपनियम (2) में निर्दिष्ट डाटा संरचना, इलैक्ट्रानिक सत्यापन के सृजन के मानक और रीति विनिर्दिष्ट करेगा ; और
- (iii) इस प्रकार दिए गए उक्त प्ररुप के संबंध में नीतियों की समुचित सुरक्षा पुरालेखीय और प्नःप्राप्ति बनाने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।"
- 3. उक्त नियमों में परिशिष्ट 2 में, प्ररुप सं. 35 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात्

### "प्ररुप सं. 35

## (नियम 45 देखें)

## आयकर आयुक्त (अपील) को अपील

ट्यक्तिगत	प्रथम नाम	मध्यम नाम	अंतिम नाम या	<b>पै</b> न
स्चना			सत्ता का नाम	टैन (यदि उपलब्ध हो)
	फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं		परिसर/भवन/गांव	सड़क, गली, डाकघर
			का नाम	
	क्षेत्र/स्थान		नगर/शहर/जिला	राज्य
			,	(चयन करें)
	देश	पिन कोड	फोन नं. एसटीडी	ईमेल पता
	(चयन करें)	·	कोड सहित/मोबाइल नं.	यदि नोटिस/पत्र ई मेल द्वारा भेजे जाएं? हां/नहीं
			ſ	

जिस	1	निर्धारण वर्ष जिसके संबंध में निर्धारण वर्ष
आदेश के		अपील प्रस्तुत की गई
विरुद्ध		हो/वित्तीय वर्ष की प्रविष्टि
अपील .		करें, यदि अपील ऐसे आदेश
फाइल		के विरुद्ध फाइल की जाती है
की गई		जहां निर्धारण वर्ष सुसंगत न
हो		हो
	2	जिस आदेश के विरुद्ध अपील
		फाइल की गई हो, उसके ब्यौरे
		क आयकर अधिनियम,
		1961 की धारा और

			उपधारा .
			ख आदेश की तारीख
			ग आदेश/मांग काः, नोटिस,
			तामील करने की
			तारीख
	3		आयकर प्राधिकारी, जिसने
			अपील के विरुद्ध आदेश पारित
			किया है ।
-	4		यदि किसी अन्य निर्धारण वर्ष/ वित्तीय वर्ष के संबंध में हां/नहीं
			कोई अपील अपीलार्थी के मामले में किसी आयुक्त
	j	-	अपील के पास लंबित है ।
		<u> </u>	
लंबित	4.1		यदि उपरोक्त सं. 4 का उत्तर हां हो तो निम्नलिखित
अपील			ब्यौरे दें
		क	आयुक्त (अपील), जिसके पास अपील लंबित है
		ख	अपील सं. और अपील फाइल करने की तारीख
		ग	निर्धारण वर्ष/वित्तीय वर्ष जिसके संबंध में अपील
			प्रस्तुत की गई है
		घ	आयकर प्राधिकारी, जिसने अपील के विरुद्ध आदेश
•			पारित किया है
	1	ਤ.	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा और उपधारा,
			जिसके अधीन की गई अपील के विरुद्ध आदेश पारित
			किया गया है।
		च	ऐसे आदेश की तारीख
अपील के	5 .	l. <sub></sub>	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा और उपधारा
ब्यौरे			जिसके अधीन अपील प्रस्तुत की गई हो

	6	-	यदि अपील किसी निर्धारण से संबंधित हो	
		क	निर्धारित आय की रकम (रुपये में)	
		ख	आय में कुल जोड़ (रुपये में )	
		ग	हानि की दशा में, निर्धारण में हानि की कुल नामंजूरी (रुपये में)	
		घ	अपील में विवादित हानि का जोड़/ नामंजूरी की रकम (रुपये में)	
		ਭ.	विवादित मांग की रकम (रुपये में) हानि की दशा में शून्य प्रविष्ट करें	
	7		यदि अपील शास्ति से संबंधित है :	
		क	आदेश के अनुसार शास्ति की रकम (रुपये में)	
		ख	अपील में विवादित शास्ति की रकम (रुपये में)	
संदत्त करों के ब्यौरे	8	í	जहां अपीलार्थी द्वारा निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई हो विवरणी फाइल की गई है, यदि विवरणित आय पर देय कर पूर्णतः संदत्त किया गया है	
	8.1		यदि उपरोक्त संख्या 8 का उत्तर हां है तो विवरणी और संदत्त करों के ब्यौरे प्रविष्ट करें	
		क	पावती संख्या	
		ख	फाइल करने की तारीख	
		ग	कुल संदत्त कर	
	9		जहां अपीलार्थी द्वारा निर्धारण वर्ष के लिए कोई विवरणी फाइल नहीं की गई हो, यदि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 249 (4) (ख) के अनुसार	हां/ नहीं/लाग् नहीं

		अग्रिम कर की रकम के समान कोई रकम संदत्त की
		गई है
	9.1	यदि उपरोक्त संख्या 9 का उत्तर हां है तो ब्यौरे प्रविष्ट
		करें।
		Se to
		कर संदाय
		बीएसआर संदाय की क्रम संख्या रकम
		कोड   तारीख
		कुल जोइ
<u>ا</u> : .	10	
	10	यदि अपील, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195
	,	के अधीन कटौती योग्य किसी कर से संबंधित है और
	ļ	कटौती कर्ता द्वारा वहन की गई है, तो धारा 195 (1)
		के अधीन निक्षिप्त कर के ब्यौरे
		बीएसआर संदाय की क्रम संख्या रकम
		कोड तारीख
		कुल जोड़
	<u> </u>	
तथ्यों का	11	तथ्यों का विवरण
विवरण,		मामले के तथ्य, संक्षेप में (हजार शब्दों से अनधिक)
अपील के		( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
आधार		दस्तावेजी साक्षयों की सूची, जिन पर विश्वास किया
और		गया है
अतिरिक्त		
साक्ष्य	12	यदि आयकर प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान हां/नहीं
		पेश किए गए साक्ष्य से अन्यथा कोई दस्तावेजी साक्ष्य
		नियम 46क के संबंध में फाइल किए गए हैं
	12.1	यदि उपरोक्त संख्या 12 का उत्तर हां है तो ऐसे

		दस्तावेजी साक्ष्य की सूची दें	
	13	अपील के आधार (प्रत्येक आधार 100 शब्दों से अनिधिक)	
		1. •	
अपील		3	
फाइल करने के	14	यदि अपील फाइल करने में विलंब हुआ हो	हां/नहीं
ब्यौरे	15	यदि उपरोक्त संख्या 13 का उत्तर हां है तो विलंब की माफी हेतु आधार प्रविष्ट करें (500 शब्दों से अनिधिक)	
	16	संदत्त अपील फीस के ब्यौरे	
		बीएसआर संदाय की क्रम संख्या रकम कोड तारीख	
			ř
	17	पता जिस पर अपीलार्थी को नोटिस भेजे जा सकेंगे	

#### सत्यापन का प्ररूप

में ं	अपीलार्थी, एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर किए गए कथन
मेरी सर्वोत्तम जा	निकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि
उपरोक्त पंक्ति 1	12.1 में कथित साक्ष्य से अन्यथा कोई अतिरिक्त साक्ष्य फाइल नहीं किए गए
<del>ह</del> ैं ।	

स्थान

तारीख

हस्ताक्षर

(अधिसूचना सं. ...**)**...../201**6**/फा. सं. 149/150/2015-टीपीएल)

्र्रिकता जैन)

उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) अधिसूचना सं. का.आ. 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 502(अ) तारीख 17/02/2016 द्वारा संशोधित किए गए ।